200

संख्या–248/VI-2/2014–2(12)2006

प्रेषक,

डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 19 जून, 2014

विषयः– **नवनिर्मित खेल निदेशालय भवन के फर्नीसिंग कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 140/खे.नि.फर्नी.पत्रा./2012–13 दिनांक 01 मई, 2014 तथा तथा शासनादेश संख्या–199/VI-2/2013–2(12)2006 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–80/अ.मु.स./पी.एस./2014–15 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवनिर्मित खेल निदेशालय के भवन के फर्निसिंग कार्यो हेतु शासनादेश दिनांक 30.03.2013 के द्वारा ₹75.69 लाख (सिविल कार्यो हेतु ₹11.81 लाख तथा अधिप्राप्ति के कार्यो हेतु ₹63.88 लाख) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹10.00 लाख की धनराशि के क्रम में अवशेष देय धनराशि ₹65.69 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में ₹50.00 लाख (**₹पचास लाख**) मात्र की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक–15.12.2008, शासनादेश संख्या–414/XXVII(7)/2007, दिनांक 23.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–594/XXVII(7)/2010 दिनांक–09.06.2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

3– कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

6– आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

–2–

7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

8– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तदनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।

10– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदानसंख्या 11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद–08–खेल निदेशालय की स्थापना–24–वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत** पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(डॉ0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

**पृष्ठांकन संख्या– 248 (1)/VI-II/2013–2(12)2006 तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
7. एन0आई0सी0 देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव